महात्माज्योतिबाफुले रूहेलखण्डविश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMAJYOTIBAPHULEROHILKHANDUNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक :रू0वि0 / सम्बद्धता / 2018 / 150-54 दिनांकः 30.05.2018

सेवा में,

प्रबन्धक / सचिव
धनवन्तरी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल
ग्रा0 चिटौली पो0 फतेहगंज पश्चिमी
जिला–बरेली

विषय– **धनवन्तरी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, ग्रा0 चिटौली पो0 फतेहगंज पश्चिमी, जिला बरेली को बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम में 60 सीट्स संचालित करने हेतु सत्र 2017–18 हेतु सम्बद्धता प्रदान करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) 2014 की धारा 37(2) में निहित व्यवस्था के क्रम में आयुर्वेदिक योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष) भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक F.No. R.12011/24/2015-EP(IM-I) दिनांक 05.08.2017 के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण मण्डल की आख्या दिनांक 01.12.2017 की संस्तुति एवं सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 30.05.2018 द्वारा की गयी संस्तुति के आलोक में **धनवन्तरी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, ग्रा0 चिटौली पो0 फतेहगंज पश्चिमी, जिला बरेली** को बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम में **60 सीट्स** की अस्थायी सम्बद्धता **सत्र 2017–18** हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है–

1. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा–37(2) में प्रावधानित परन्तुक के अनुसार आगामी सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा की स्थिति में छात्रों का प्रवेश स्वतः प्रतिबन्धित रहेगा।
2. संस्थान / महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता / सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्ते निरन्तर पूरी कर रहा है।
3. संस्था, शासनादेश सं0 2851 / सत्तर–2–2003–16 (92) / 2002 दिनांक 02 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशानिर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के संबंध में शासनादेश सं0 522 / सत्तर–2–2013–2(652) / 2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय को करना होगा।
5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
6. महाविद्यालय को रू0 100 / – के शपथ–पत्र महाविद्यालय में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों व व्याख्यान कक्षों व प्रयोगशाला का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. महाविद्यालय में दिव्यांग जनों की सुविधा हेतु स्लैप का निर्माण कराया जाना आवश्यक होगा।
8. महाविद्यालय को प्रत्येक वर्ष AISHE का DCF-II का फार्म अपलोड करना अनिवार्य होगा।

भवदीय

(अशोक कुमार अरविन्द)
कुलसचिव

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
3. परीक्षा नियंत्रक।
4. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट

कुलसचिव